घटना

अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई के दौरान मची थी भगदड़, जमतरा में तनाव, परिजनों, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

प्रशासनिक टीम की दहशत से नदी में कूदा युवक, मौत

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी स्थित जमतरा पर सोमवार को अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पुलिस, प्रशासनिक टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दहशत में आए एक युवक ने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद भारी आक्रोश फैल गया है। परिजनों, ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोपहर ढाई बजे के बाद शुरू हुआ हंगामा देर शाम तक चला। आक्रोश इतना बढ़ गया था कि पुलिस, प्रशासनिक टीम के हाथ पांव फूल गए थे। कई थानों के फोर्स ने पहुंचकर मोर्चा संभाला तब कहीं जाकर आक्रोश शांत हुआ।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण एसडीएम अभिषेक सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक, पुलिस की संयुक्त टीम ने बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी स्थित जमतरा पर सोमवार दोपहर दो बजे अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करने दबिश दी। टीम को देखते ही घाट पर भगदड़ मच गई। 4-5 लड़के मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन खिरैनी घाट बरगी निवासी आकाश बर्मन (24) को टीम ने घेर लिया। दोपहर करीब ढाई बजे खुद को चारों ओर से घिरा देख आकाश घबरा गया और जान बचाने के लिए उसने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी और डूब गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और शव को बरामद किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

रेत माफियाओं को संरक्षण गरीबों को बनाते निशाना

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बड़े-बड़े खनन माफियाओं को संरक्षण देता है, जो मशीनों से खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन उन गरीब ग्रामीणों को निशाना बनाया जाता है जो अपनी आजीविका के लिए बोरियों में रेत भरते हैं। बोरी भरकर रेत निकालने वालों पर कार्रवाई होती, हाईवा, डंपर भरने वालों को छूट दी जाती है। टीमें माफियाओं से रिश्वत लेती है। हादसे की खबर मिलते ही जमतरा में परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण घाट पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने टीम की गाड़ियों की हवा भी निकालने की भी कोशिश की गई।

तीन थानों की फोर्स पहुंचा, शाम को माने परिजन

ग्रामीणों के प्रदर्शन और बढ़ते तनाव के चलते बरेला समेत बरगी, गोराबाजार थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और आक्रोशितजनों को समझाइश देने में जुट गया। आक्रोशितजनों और पुलिस- प्रशासनिक टीम के बीच तीखी बहस होती रही। गुस्साएं लोग कार्रवाई पर अड़ गए। हालांकि बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया देर शाम साढ़े चार बजे परिजन माने जिसके बाद शव को पीएम के लिए मेडिकल कालेज रवाना किया गया।

मारते,पीटते घाट ले गए, फड़फड़ाता रहा आकाश, देखते रहे तमाशा, धमकाया

मृतक के भाई ने कहा कि एसडीएम साहब की गाडी आई मैं निकल गया तभी आकाश बर्मन को पकड़ लिया गया। तीन चार लोग उसे मारते पीटते घाट ले गए। पानी के किनारे ले गए तभी वे डूब गया इसके बाद टीम में शामिल सभी दूर से तमाशा देख रहे थे आकाश फड़फड़ा रहा था लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं गई। इसके बाद पुलिस वालो को छिपा दिया गया। हमें धमकी दे रहे थे कि ज्यादा बनोगो तो तुम्हें भी मारेंगे।

मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए, शव कहीं नहीं जायेगा

मृतक का भाई चीख-चीख कर कहता रहा कि तुम लोग रिश्वत लेकर रेत माफियाओं को छोड़ देते हो। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। जब एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकाला तो परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। मृतक का भाई जिद पर अड़ गया कि उसे शव जिंदा चाहिए और कहने लगा लाश यहां से कहीं नहीं जायेगी। पुलिस समझाइश दे रही थी कि पीएम के बाद आगे की कार्रवाई होगी लेकिन वे मानने तैयार नहीं था। वे रोते बिलखते कहता रहा कि उसका एक ही भाई था। सब कुछ यहीं होगा और उसका भाई जिंदा चाहिए।

आकस्मिक घटना, लापरवाही नहीं

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि पाटन, शहपुरा सहित अन्य इलाकों में खनिज विभाग की टीम द्वारा सोमवार को रेत चोरी की शिकायत पर छापेमारी की गई थी। जमतरा पुल के पास कि जो घटना घटित हुई है वो आकस्मिक है, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

मर्ग कायम, पुलिस कर रही जांच

अति. पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जमतरा घाट में अवैध उत्खनन की कार्रवाई करने एसडीएम, सीएसपी, माइनिंग की टीम पहुंची थी। इसी बीच कार्रवाई को देखते हुए एक युवक नदी में कूद गया। तत्काल एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया और शव को बाहर निकाला गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके परिजन आक्रोशित थे जिनको समझाइश दी गई। पीएम के लिए शव को मेडिकल भेज मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।

उम्र में छोटा नवयुवक भगा ले गया बेटी को

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिये मध्यस्थता के निर्देश

जबलपुर। उम्र में छोटे नवयुवक के द्वारा बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पिता की तरफ से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि विशेष समुदाय के युवक ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए बेटी तथा परिजनों के बीच कानूनी मध्यास्ता के निर्देश जारी किये है।

सिंगरौली निवासी सरकारी कर्मचारी की तरफ से दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी 19 वर्षीय बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और फुटबॉल खिलाडी थी। कॉलेज में पढने वाले उससे एक साल छोटा नवयुवक उसे भगाकर ले गया है। उसकी बेटी विगत 13 अप्रैल से गायब है उसके लापता होने की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी।याचिका में कहा गया था कि युवक ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है,जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह परिजनों से बात भी नही करना चाहती है। बेटी का भगाकर ले जाने वाला युवक महज 18 साल का है और आर्थिक रूप से असक्षम है। बेरोजगार होने के कारण वह उसकी बेटी का पालन नहीं कर सकता है। उसका परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर है। कानून तौर भी युवक 21 साल से पहले विवाह नहीं कर सकता है। याचिका में राहत चाही गयी थी कि बेटी को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाये। याचिका की सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि लडकी तथा परिजनों के बीच कानूनी मध्यास्ता के निर्देश जारी किये है।

राजस्व रिकार्ड में पुन: दर्ज करों आवेदक का नाम

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने ने सीहोर कलेक्टर को निर्देशित किया है वह 14 दिन के भीतर याचिकाकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुन- दर्ज करें। सीहोर निवासी राजू उर्फ राजमल विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता केके पांडेय, सिद्धार्थ एस पांडेय एवं अशिमता चंद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ग्राम बिल्किशगंज स्थित भूमि वर्ष 2001-02 में याचिकाकर्ता को आवंटित की गई थी। इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2004 में सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें भूमि पर अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की। इसके पश्चात राजस्व अभिलेखों में भी उनका नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज कर लिया गया था। दलील दी गई कि संबंधित नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनका नाम अभिलेख से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलेक्टर सीहोर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। कलेक्टर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है और अन्य मामलों में भी अनियमितताएं की गई हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

10वीं के छात्र से गुंडा टैक्स की मांग, मना करने पर चाकू से हमला

जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र में शांतिनगर निवासी एक स्कूली छात्र पर दो बदमाशों ने उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया, जब उसने रंगदारी देने से मना कर दिया। आरोपियों ने न केवल मारपीट की, बल्कि अपशब्दों का प्रयोग करते हुए छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि शांतिनगर निवासी 16 वर्षीय हर्षित समन सेंट जोसफ स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है, बीती रात करीब 11 बजे अपने दो दोस्तों, रौनक यादव और कुणाल शर्मा के साथ करोंदी मरघटाई के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान मरघटाई निवासी मेहताब अंसारी और शोएल अंसारी वहां पहुंचे। आरोपियों ने दादागिरी दिखाते हुए छात्र से कहा, अगर रांझी में रहना है, तो हमें हर महीने 1,000 रुपये रंगदारी देनी पड़ेगी। जब छात्र हर्षित ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी भड़क गए। उन्होंने हर्षित के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी मेहताब अंसारी ने चाकू निकालकर हर्षित के बाएं पुट्ठे पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। वहीं दूसरे आरोपी शोएल अंसारी ने लाठी से छात्र की पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए।

दुल्हन बनी बालिका, बारात आने के पहले पहुंची प्रशासनिक टीम

अक्षय तृतीया पर पनागर में रूकवाया गया बाल विवाह

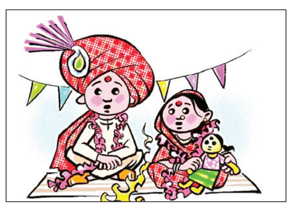

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत इमलिया में अक्षय तृतीया पर बालिका दुल्हन बनी थी। शहनाईयां बज रही थी, खुशियों का माहौल था। मंडप सजा हुआ था। कटनी जिले के ग्राम पटी राजा से बारात आने वाली थी। जिसकी भनक लगते ही प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रूकवाया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह के मुताबिक पनागर परियोजना की टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत नरगवा सेक्टर इमलई में एक विवाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहाँ परिणय सूत्र में बंधने जा रही वधु की उम्र 18 वर्ष से कम है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और कार्यवाही सुनिश्चित की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि विवाह के बंधन में बंधने जा रहे बालक और बालिका, दोनों की आयु कानूनी रूप से विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से कम है। इस विवाह के लिए बारात कटनी जिले के बहोरीबंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटीराजा से आने वाली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर और कटनी जिले के अधिकारियों ने आपस में समन्वय स्थापित किया और एक संयुक्त रणनीति बनाकर कार्य किया। विभागीय टीम ने मौके पर पहुँचकर परिवार के सदस्यों को समझाइश दी और स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्ची का विवाह करना एक गंभीर कानूनन अपराध है। इसके साथ ही, वर पक्ष से भी दूरभाष पर संपर्क साधा गया तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की कटनी जिले को भी सूचना दी गई। जबलपुर से मिली सूचना पर कटनी जिले की टीम ने पटीराजा पहुँचकर वर पक्ष को कानून की जानकारी देते हुए बारात न ले जाने के लिए समझाइश दी। जबलपुर और कटनी की टीमों के संयुक्त प्रयासों और काउंसलिंग के परिणामस्वरूप दोनों ही पक्ष अपनी गलती स्वीकार करने पर सहमत हुए और उन्होंने आपसी सहमति से इस विवाह को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।

अनाधिकृत यात्रियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करने वालों पर अब होगी कार्रवाई

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेल ने समावेशी यात्रा और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए, स्पष्ट किया है कि वैध 'यूनिक डिसेबिलिटी आईडी' (यूडीआईडी) कार्ड धारक दिव्यांगजनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित अनारक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांगजन और भारतीय रेल द्वारा रियायती किराया सुविधा प्रदान किए गए दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित 'सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन' (एसएलआरडी) या 'लगेज-कम-सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन' (एलएसएलआरडी) कोचों में यात्रा करने के लिए वैध यात्री माने जाएंगे; बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार (टिकट) हो। रेलवे ने यह भी कहा है कि इन निर्धारित कोचों में यात्रा करते पाए गए अनाधिकृत यात्रियों पर रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लक्षित लाभार्थी बिना किसी असुविधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कृष्णा

आज हमारे प्रिय बड़े पुत्र कृष्ण दहिया उम्र 15 वर्ष 21.04.2026 15वा जन्मदिन है आपके इस जन्मदिन पर सभी से आशीर्वाद की कमनाआ की है आप श्री गोविंद प्रसाद दहिया के पोते जय सद्दू / संध्या दहिया के सुपुत्र है। आपके जन्मदिन पर सभी ने हर्ष व्याप्त किया है।

प्रतीक्षा सूची कम करने पर रेलवे दे रहा विशेष ध्यान, चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए और सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देकर गर्मी के चरम मौसम में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 18,262 ट्रिप संचालित करेंगी इसमें पश्चिम मध्य रेलवे ने 28 ट्रेनों (408 ट्रिप) को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 18 ट्रेनों (192 ट्रिप) को अधिसूचित किया गया है।

यात्रियों को होने वाले लाभ

ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की बड़े पैमाने पर शुरुआत होने से यात्रियों को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। अधिक मांग वाले मार्गों पर विशेष ट्रेनों को तैनात करके, भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि गर्मियों की भीड़भाड़ के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो इसका उद्देश यात्रा के व्यस्त मौसम के दौरान प्रतीक्षा सूची को कम करना। अतिरिक्त बर्थ और यात्रा के पुष्ट विकल्प उपलब्ध कराना। प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ाना और सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है।

कारोबारी को अगवा कर ले गए तहसील कार्यालय, विक्रयनामा लिखवाया

264 वर्गफुट की दुकान हथियाने टाटा सफारी से फिल्मी अंदाज में हुआ अपहरण

घाटे की भरपाई के लिए रची साजिश, एफआईआर दर्ज

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत मड़ई में रहने वाले एक बकरी कारोबारी का आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में टाटा सफारी से कारोबारी को अगवा किया, मारपीट की और तहसील कार्यालय ले जाकर डरा-धमकाकर उसकी दुकान का विक्रयनामा लिखवा लिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने घाटे की भरपाई के लिए साजिश रची थी।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मोनू रैकवार (46) निवासी मड़ई बकरी और मुर्गी पालन का कार्य करता है। करीब 7 माह पहले उसने विवेक सतनामी के साथ मझौली के कटाव धाम में एक फार्म हाउस किराए पर लिया था। कारोबार में घाटा होने के बाद विवेक हिसाब करने नहीं आया, बल्कि उसने डराकर संपत्ति हड़पने की योजना बना ली। 19 अप्रैल की शाम जब मोनू फार्म हाउस पर था, तभी अभिषेक घाटे अपने 3 साथियों के साथ टाटा सफारी एमपी 20 के एन 0111 से वहां पहुँचा। मोनू के मना करने के बावजूद आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और मारपीट शुरू कर दी।

मोबाइल छीना, ऑफिस में बंधक बनाकर पीटा

आरोपियों ने सबसे पहले मोनू का मोबाइल छीना ताकि वह किसी को सूचना न दे सके। उसे विवेक सतनामी के बस स्टैंड स्थित ऑफिस ले जाया गया, जहाँ उसे फिर से बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल गल से छूटा और रांझी थाने पहुँचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक सतनामी, अभिषेक घाटे और उनके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

तहसील कार्यालय में जबरन कराये हस्ताक्षर

आरोपी मोनू को तहसील कार्यालय के पास एक शपथ पत्र विक्रेता के पास ले गए। वहां मोनू की मड़ई स्थित 264 वर्गफुट की कीमती दुकान को जबरन एफीडेविट के माध्यम से अपने नाम करवा लिया। आरोपियों ने रात करीब 9:30 बजे वे मोनू के घर पहुँचे और उसकी पत्नी भूमा रैकवार व साली प्रियंका बर्मन को जान से मारने की धमकी देकर शपथ पत्र पर गवाही के तौर पर हस्ताक्षर करा लिए थे।